राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांक : एफ 20 (8) (2)/बा.अ.वि./कि.न्या.अ./कि.न्या.बो/मनोनयन पार्ट–3./16 50977 जयपुर दिनांकः 29-5-2020

आयुक्त,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति को राजस्थान से प्रकाशित होने वाले एक राज्य स्तरीय व एक प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में (सुगमता से पठनीय हो) प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर प्रकाशन हेतु भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

29/5/20

(डॉ वीना प्रधान)
आयुक्त एवं शासन सचिव

कमांक : एफ 20 (9) (2)/ बा.अ.वि./कि.न्या.अ./कि.न्या.बो/मनोनयन पार्ट–3./16 50978-79 जयपुर दिनांकः 29-5-2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.- 0141.2399335 2399336 ई-मेल - dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड/मनोनयन पार्ट-3/16/5692 जयपुर दिनांक 29-5-2020

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित **बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य** पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः-

क. सं.	जिले का नाम	पदो का विवरण
1	डूंगरपुर, सीकर, बांसवाडा	प्रत्येक बाल कल्याण समिति मे 01 अध्यक्ष व 04 सदस्य, (जिसमें से 01 महिला)
2	चित्तौडगढ	01 अध्यक्ष व 02 सदस्य
3	प्रतापगढ	03 सदस्य (जिसमें से 01 महिला)
4	अलवर	02 सदस्य (जिसमें से 01 महिला)
5	पाली	02 सदस्य
6	जालोर	01 महिला सदस्य

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिले में गठित **किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य** पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः-

क. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	प्रतापगढ	02 सदस्य (जिसमें से 01 महिला)

उक्त वर्णित जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताएं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 30 जून, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

29/5/20

(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव एवं

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट–3/16/50929-976 जयपुर दिनांक 29-5-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, ...।
8. अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
10. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक,/लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन–पत्र 02–02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक–पृथक प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों की निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक **10 जुलाई, 2020** तक विशेष वाहक द्वारा निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों के मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक बाल कल्याण समिति 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं एक बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी न्यायपीठ है। इस न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है:–

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता की 35 वर्ष आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2020 को की जाएगी।
2. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी कियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष तक सक्रिय रूप से कार्यानुभव होना आवष्यक है।
3. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनःचिकित्सा (Psychiatry) या विधि (Law) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) अथवा मानव विकास (Human Development) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी (Retired Judicial Officer) होने चाहिए।
4. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
5. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–
   i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
   ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
   iii. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।
   iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
6. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदि–
   i. वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
   ii. वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

Scanned with CamScanner

iii. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

7. आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
8. आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह/आश्रय गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी इत्यादि) के प्रबंधन एवं संचालन से जुडा न हो।
10. आवेदक किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
11. आवेदक दिवालिया न हो।

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 30 जून, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

29/5/20

(डॉ. वीना प्रधान)
आयुक्त एवं शासन सचिव एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

Scanned with CamScanner

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 4 के तहत विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (जयपुर जिले में 2 बोर्ड) का गठन किया गया है, जो 1 महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व 2 सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ है। इस न्यायपीठ को दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।

किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है:-

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता की 35 वर्ष आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2020 को की जाएगी।
2. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष तक सक्रिय रूप से कार्यानुभव होना आवष्यक है।
3. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का बालक मनोविज्ञान (Child Psychology), मनःचिकित्सा (Psychiatry)] सामाजिक विज्ञान (Sociology) या विधि (Law) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।
4. सामाजिक कार्यकर्ता अधिकतम दो कार्यकालों के लिए ही बोर्ड के सदस्य के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे।
5. कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–
   i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
   ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
   iii. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।
   iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
6. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति (प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त), जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदि–
   i. वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
   ii. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, बोर्ड की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है,

Scanned with CamScanner

iii. किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

iv. सदस्य के रूप में अपनी कार्यअवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

7. आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
8. आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह/आश्रय गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी इत्यादि) के प्रबंधन एवं संचालन से जुडा न हो।
10. आवेदक किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
11. आवेदक दिवालिया न हो।

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियम के नियम 87 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 30 जून, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

29/5/20

(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव एवं

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
बाल अधिकारिता विभाग,
.... ।

आवेदक का नवीनतम फोटो

विषयः–किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति कमांक .... दिनांक .... द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, ...में सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है।

उक्त कम में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है:–

1.	आवेदक का नाम	
2-	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि (01.01.2020 को 35 वर्ष पूर्ण)	
4.	ई–मेल एवं मोबाईल. नम्बर	
5.	निवास का पूर्ण पता **(स्थाई एवं वर्तमान)**	
6.	दिशा–निर्देशों में अंकित अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। **(शैक्षणिक)** **(पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं /डिग्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)**	
7	आवेदनकर्ता द्वारा धारित अनुभव का विवरण **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	
8	वर्तमान व्यवसाय	

Scanned with CamScanner

9.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	
10	क्या आवेदक के विरूद्ध न्यायालय/थाने में प्रकरण दर्ज/लबिंत/निस्तारित हो चुका है/रहा है कि संबंध में पूर्ण विवरण देवे, निस्तारण होने पर क्या दोष सिद्व ठहराया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
11	क्या आवेदक को किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
12	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित है/रहा है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
13	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
14	क्या आवेदक को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
15	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो किषोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा है तो अवधि का पूर्ण विवरण अंकित करें।)**	
16	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी /बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन/संचालन कर रहे है?	

Scanned with CamScanner

	(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें)	
17	क्या आवेदक दिवालिया है ? (उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)	
18	क्या आवेदक किसी राजनैतिक पार्टी का पदाधिकारी है ? (उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो राजनैतिक पार्टी का नाम/पद/कार्यकाल अवधि इत्यादि का पूर्ण विवरण लिखें।)	

सामान्य निर्देश

आवश्यक संलग्नकों का विवरणः–

1. **जन्मतिथि प्रमाण हेतुः**–10 वीं की अंकतालिका संलग्न करे।
2. **शैक्षणिक व अन्य योग्यता प्रमाण हेतु** :–समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें। ।
3. **निवास का पताः**–अपने पहचान पत्र /पासपोर्ट इत्यादि की प्रति संलग्न करें जिसमें आपके निवास का सही पता अंकित हो।
4. **पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ऑनलाईन (On line) नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो ।**
5. **बिन्दु संख्या 10 से 18 के लिए 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें।**

नोटः इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप/पुराने प्रारूप में भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें। भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

संलग्न ....

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बाल अधिकारिता विभाग
.... ।

आवेदक का नवीन फोटो

विषयः—बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा बाल कल्याण समिति, ...में अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है।

उक्त क्रम में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता हैः—

1.	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि (01.01.2020 को आयु 35 वर्ष पूर्ण)	
4.	ई—मेल एवं मोबाईल. नम्बर	
5.	निवास का पूर्ण पता **(स्थाई एवं वर्तमान)**	
6.	दिशा—निर्देशों में अंकित अर्हताओं में कौन—सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। **(शैक्षणिक)** **(पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं /डिग्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)**	
7	आवेदनकर्ता द्वारा धारित अनुभव का विवरण **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	

Scanned with CamScanner

8	वर्तमान व्यवसाय	
9.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	
10	क्या आवेदक के विरूद्ध न्यायालय/थाने में प्रकरण दर्ज/लबिंत/निरस्तारित हो चुका है/रहा है कि संबंध में पूर्ण विवरण देवे, निस्तारण होने पर क्या दोष सिद्व ठहराया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
11	क्या आवेदक को किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
12	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित है/रहा है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
13	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
14	क्या आवेदक को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
15	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा है तो अवधि का पूर्ण विवरण अंकित करें।)**	
16	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ दत्तक	

Scanned with CamScanner

	ग्रहण संसाधन एजेन्सी /बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन/संचालन कर रहे है? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें)**	
17	क्या आवेदक दिवालिया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
18	क्या आवेदक किसी राजनैतिक पार्टी का पदाधिकारी है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो राजनैतिक पार्टी का नाम/पद/कार्यकाल अवधि इत्यादि का पूर्ण विवरण लिखें।)**	

<u>सामान्य निर्देश</u>

<u>आवश्यक संलग्नकों का विवरण:-</u>

1. **जन्मतिथि प्रमाण हेतु:**-10 वीं की अंकतालिका संलग्न करे।
2. **शैक्षणिक व अन्य योग्यता प्रमाण हेतु** :-समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें। ।
3. **निवास का पता:**-अपने पहचान पत्र/पासपोर्ट इत्यादि की प्रति संलग्न करें जिसमें आपके निवास का सही पता अंकित हो।
4. **पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ऑनलाईन (On line) नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो ।**
5. **बिन्दु संख्या 10 से 18 के लिए 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें।**

नोट: इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप/पुराने प्रारूप में भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें। भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

संलग्न ....

Scanned with CamScanner